"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2004—अग्रहायण 5, शक 1926.

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री पी. जॉय ओम्मेन, भा.प्र.से. (1977) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री ओम्मेन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से. (1973), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन, वन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम, केवल वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से., पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर को दिनांक 30-3-2004 से 1-4-2004 तक (3 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साहू, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2004

क्रमांक ई-7/20/2004/1/2/लीव.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. को दिनांक 11-10-2004 से 30-10-2004 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9 एवं 10-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2004

क्रमांक 2209/बी-11/2001/14-2.—राज्य सरकार, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/कृषि/बी-11/2001/14-2 दिनांक 9-2-2001 की कंडिका (1) में उल्लेखित शब्द "संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक)" को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर "अपर संचालक कृषि (खाद एवं उर्वरक)" शब्द राज्य सरकार, एतद्द्वारा स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ-9-105/गृह/दो/04.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26 जुलाई, 2004 को प्रश्नपत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री साजिद मेमन	परियोजना अधिकारी	सश्रेय
2.	श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह	परियोजना अधिकारी	सश्रेय
3.	श्री अरूण पाण्डेय	बाल विकास परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	श्री तारकेश्वर प्रकाश सिन्हा	परियोजना अधिकारी	उच्चस्तर
5.	श्रीमती सविता साहू	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर
6.	श्रीमती बबीता कमलेश	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	सश्रेय
7.	श्रीमती जयमन्ती निराला	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.	निम्नस्तर
8.	श्रीमती कला पोया	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक/5402/6953/18/04.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 40 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुजूर आत्मज श्री रामकेवल कुजूर पार्षद वार्ड क्र. 14 न. प्र. भटगांव जिला सरगुजा का पार्षद पद से त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/336.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पुरेनाबुढ़ा प.ह.नं. 14	1.07	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली, जिला-रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना जवाली वितरक नहर के अंतर्गत पुरेना माइनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/338.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 14	1.36	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली, जिला-रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना की जवाली शाखा नहर से छवारी पाली माइनर के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 1268/अ.वि.अ./भू-अर्जन//04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चोरिया प.ह.नं. 13	0.300	कार्यपालन यंत्री/सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	चोरिया सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चाम्पा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	फगुरम प. ह. नं. 16	91.516	महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र.	बरौद खुली खदान के विस्तार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बिजारी प. ह. नं. 26	18.896	महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र.	बरौद खुली खदान के विस्तार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बरौद प. ह. नं. 16	14.552	महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र.	बरौद खुली खदान के विस्तार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपलब्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी	0.934	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 1288 /प्रा. 1/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	सावनी	0.36	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप.	खुड़मुड़ी जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 1304/प्रा. 1/2004..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	धर्मी प. ह. नं. 12	0.75	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग, क्र. 5, दुर्ग.	पचपेड़ी जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डोंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़ी, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1000/3	0.11
1001/3	0.57
1022/2	0.12
1023	0.74
1024	0.64
1025/1	0.55
1026	0.07
1030	0.45
1029	1.00
1031	0.09
1035	0.10
1037	1.60
योग 12	6.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्रमांक 2118/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डोंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-गंडाईनडीह, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.49 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
73	0.15
74	0.37
75	1.32
77	0.80
78	0.11
79	0.60
237	0.52
229	0.18
238	0.23
239	0.25
240	0.18
80	0.14
81	0.47
82	1.02
83	0.15
योग 15	6.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डोंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीटोला, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.00 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	791	0.18
	799	0.68
	792	1.10
	794	0.03
	795	0.73
	796	0.22
	801	0.09
	802	0.02
	808	0.60
	809	1.40
	810	0.15
	811/1	0.20
	811/2	0.60
योग	13	6.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर

क्रमांक 2118/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डोंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-डेंगरापार, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.20
3	0.30
4	0.36
5	0.33
8	1.64
143/1	1.34
139	0.27
140	0.27
130	0.31
131	0.22
141	0.35
142	0.23
125	0.25
126	0.32
127	0.52
120/1	0.02
120/2	0.20
346	0.05
315	0.22
316	0.37
318	0.14
319	0.06
311	0.55
268	0.55

	(1)	(2)
	314	0.20
	266	0.52
	263/1	0.30
	263/2	0.22
	124	0.35
	261	1.05
	260	1.90
योग	31	13.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्रमांक 2118/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डोंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-घीना, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.43 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
503	1.98
562	0.33
557/1	0.40
557/2	0.40
557/3	0.03
559	0.05
554	0.83
541	0.63
547	0.63
545	0.15
546	0.20
544	0.86
543	0.05
542	0.07
621	0.90
834	0.26
608	0.37
612/1	0.74
618/1	0.65
619/1	0.24
787/1	0.30
786/1	0.90
750	0.16
779	0.28
780	0.30
752	0.37
770/1	0.01
773	0.65
776	0.20
822/1	0.09
822/2	0.33
822/3	0.16
823	0.04
824/1	0.12
827/3	0.09
829/1	0.09
830/1	0.14
832	0.18
555	0.02
835	0.18
837/2	0.40
836/1	0.11
836/3	0.02
1070/2	0.43
1070/3	0.20
1070/4	0.18
1070/1	0.02
1067/1	0.73
1067/2	0.02

(1)	(2)
1066	0.40
1068	0.01
844	0.25
846	0.12
1057	0.95
1053/2	0.30
1054	0.27
1071	0.04
609	0.60
योग 58	19.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के कंसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

दुर्ग, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 1533/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-गुण्डरदेही
 (ग) नगर/ग्राम-देवरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.13
10	0.16
16	0.02
18	0.04
62	0.06
85	0.06
87	0.05
1.40	0.06
13	0.43
14	0.07
59	0.15
15	0.05
60	0.10
58	0.16
29	0.13
19	0.68
21	0.16
90	0.49
22	0.40
23	0.07
39	0.09
24	1.38
25	0.08
26	0.02
27	0.03
28-38	0.11
30	0.20
31/1	0.04
31/2	0.10
35	0.07
54	0.05
55/3	0.05
68	0.17
61	0.43
65	0.28
63	0.34
64	0.12
82	0.89
86/1	0.24
86/2	0.07
86/3	0.08
91	0.49
92	0.31
93	0.07
137	0.19
138	0.17
139	0.19

(1)	(2)
36	0.07
37	0.32
88/1	0.12
88/2	0.12
0.67	0.03
86/4	0.08
योग 53	10.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 08/अ-82/भू-अर्जन2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
730	0.14
749/1	0.09
761	0.69
762	0.18
749/2	0.22
733	0.11
746	0.36
748	0.31
747	0.21
750	0.47
760/1	0.04
760/2	0.23
759	0.27
योग	3.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुरकी जलाशय योजना के स्पिल चेनल एवं बायीं नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक 893/2/अ-82/2000-01/भू-अर्जन/04 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजुर
- (ग) नगर/ग्राम-पी. व्ही. 36 (चांदीपुर), प. ह. नं. 03.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
05	0.24
17	0.28
49	0.23
54	0.23
04	0.10
18	0.06
51	0.22
53	0.28
21	0.45
52	0.24
योग 10	2.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लघु सिंचाई योजना हेतु केनाल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पखांजुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 अप्रैल 2004

क्रमांक 786/A 82/भू-अजर्न/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सैहामालगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
83	0.02
180/3	0.18
188	0.60
191/2	0.02
449	0.15
474/2	0.12
494	0.34
495/1	0.26
88/1	0.57
185	0.35
484	0.20
429	0.25
454	0.10
480	0.05
490	0.02
483	0.17
योग 16	3.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 6 मई 2004

क्रमांक 190/भू-अर्जन/अ.वि.अ./40-अ/82/सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-बीजेपुर, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.09
4	0.38
31	0.17
59	0.18
67	0.50
60	0.23
63	0.12
64	0.03
61	0.20
55	0.01
54	0.10
योग 11	2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 कि.मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक 6/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमोरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1086/3	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-धाराशिव अवरीद मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रा., जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव/विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-ढिमानी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.020
योग 1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-टेमटेमा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144	0.089
145	0.210
148	0.049
152	0.004
153	0.126
154	0.008
156	0.117
158	0.004
159	0.117
160	0.004
202/15	0.008
202/18	0.097
217	0.004
202/24	0.117
219/1	0.170
योग 15	1.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सुटूपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.558 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	289/3	0.162
	287/4	0.020
	297	0.240
	300	0.081
	289/2	0.069
	299/1	0.125
	215/7	0.020
	285	0.049
	302	0.101
	298	0.024
	301	0.073
	296/2	0.182
	309	0.162
	213/1	0.166
	213/2	0.077
	213/9	0.081
	287/3	0.049
	287/2	0.020
	289/1	0.053
	215/3	0.020
योग	20	1.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुटूपाली जलाशय के लिये भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-खरसिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	201/1	0.065
योग	1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-करपीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.204 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	15/1, 15/2	0.040
	2	0.012
	21/4	0.020
	21/1, 26/1	0.072
	21/3	0.061
	29	0.056
	41/3	0.040
	162/3	0.052
	301/4	0.032
	293	0.020
	301/3	0.020
	135/4	0.040
	135/8	0.040
	371	0.097
	41/1	0.045
	27/3	0.024
	5	0.182
	6/1	0.109
	6/2	0.012
	7	0.121
	8	0.109
योग	21	1.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-करूमौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16/10	0.012
	19/2	0.012
योग	2	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-रतनमहका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	147/2	0.040
योग	1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-छोंटेमुड़पार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.441 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29/9	0.053
	203/1	0.049
	203/8	0.028
	262	0.101
	263/2	0.008
	264/5	0.028
	264/7	0.028
	264/3	0.057
	266/3	0.089
योग	9	0.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गइ अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-जैमुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.3521 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
594/5	0.012

(1)	(2)
528/2	0.040
653/2	0.150
524/2	0.101
481/3	0.049
योग	0.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सोण्डका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219/4	0.020
392/1	0.125
279/7	0.008
186/3	0.020
178/3	0.040
224	0.085
5/1	0.024
279/3	0.012
219/1	0.017
योग	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-अंजोरीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
17/2	0.025
23/1	0.040
167/2	0.040
165/1	0.012
18/1	0.008
योग	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गोपी महका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
107/2	0.020
53/2, 54/2	0.008
106/1	0.016
103/3	0.004
योग	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.143 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
196/3, 219/3	0.049
196/1, 219/1	0.020
221/3	0.041
177/4	0.033
योग	0.143

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे डुमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गीधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.290 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464, 466	0.024
274	0.206
460	0.012
391/1	0.032
330/3	0.016
योग	0.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सूती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104/4	0.049
103/2	0.020
योग	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.515 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
38/3	0.004
43/4	0.121
165/1, 165/9	0.010
167/5	0.117
165/4	0.223
167/6	0.008
167/8	0.032
योग	0.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-परसकोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
403/1	0.045
382	0.016
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहरं हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.

रायगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े डुमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.397 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
464/2 ग	0.040

(1)	(2)
464/2 घ	0.049
463/5, 463/6	0.089
463/7	0.033
411/12	0.093
410/2	0.061
422/2	0.032
योग	0.397

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2004

क्रमांक-रा.प्र.क्र. 1 अ-82/03-04—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशाधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, प.ह.नं. 64, तेलसरा, प.ह.नं. 64
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.17 + 8.41 = 18.58

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-सोनपुर	
1888	0.04
1926	0.41
1889	0.07
1890	0.14
1893	0.31
1892	0.15
1894	0.12
1923/2540	0.08
1895	0.05
1896	0.90
1897	0.52
1898	0.31
1899	0.07
1900	0.14
1901	0.20
1927	0.39
1928	3.84
1929	0.06
1903	0.12
10098	0.04
1920	0.07
1925	0.09
1929	0.46
1948	0.04
1940	0.38
1941	0.38
1942	0.30
1933	0.06
1934	0.06
1830	0.24
1923	0.13
योग 31	10.17
ग्राम-तेलसरा	
243	0.16
246	0.57
245	0.14

(1)	(2)
247	0.09
248	0.24
249	0.10
250	0.16
257	0.58
242	0.01
251	0.12
269	0.02
270	0.10
252	0.12
273	0.19
253/1	0.09
253/2	0.10
254	0.21
259	0.55
275	0.04
255	0.22
256	0.22
267	0.07
258	0.18
260	0.55
261	0.50
262	0.50
263/1	1.21
263/2	0.25
264	0.41
271	0.17
273/1	0.07
273/2	0.12
709	0.27
266	0.08
योग 34	8.41
कुल योग 65	18.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2004

क्रमांक-रा.प्र.क्र./11 अ-82/02-03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशाधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अक्षयपुर, प.ह.नं. 66, सुरता, प.ह.नं. 67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.50 + 7.90 = 10.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-अक्षयपुर	
116	0.02
115	0.03
825	0.07
826	0.01
781	0.06
117	0.05
118	0.03
119	0.02
120	0.04
121	0.04
795	0.02
796	0.01
809	0.05
123	0.03
152	0.30
155	0.11
159/2	0.08
160	0.08
822	0.09
823	0.07
793/2	0.18

(1)	(2)
814	0.04
782	0.02
790	0.08
791	0.08
792	0.09
810	0.04
815	0.09
816	0.06
680	0.06
645	0.02
646	0.07
649	0.09
650	0.02
681	0.02
682	0.03
683	0.05
694	0.10
695	0.04
728	0.01
696	0.09
697	0.06
731	0.02
780	0.04
153	0.03
योग 45	2.50

ग्राम-सुरता

(1)	(2)
222	0.04
224	0.04
235	0.15
102	0.06
363	0.12
107	0.06
108	0.06
110	0.12
352	0.03
353	0.02
373	0.10
362	0.10
367	0.10
234	0.08
223	0.03
670	0.12
669	0.12
671	0.08
702	0.20
638	0.15
628/1	0.10
630	0.07
631	0.02
902	0.17
908	0.02
903	0.06
910	0.14
916	0.09
923	0.14
953	0.16
692	0.04
693	0.10
919	0.10
689	0.03
685	0.05
684	0.02
679	0.20
642	0.06
890	0.01
643	0.05
891	0.10
644	0.04
995	0.05
996	0.12
997	0.05
999	0.09
892	0.02
886	0.05
887	0.06
894	0.10
895	0.02
1088	0.01
1761	0.12
1001	0.17
1002	0.02

(1)	(2)
1082	0.03
1083	0.02
1084	0.08
1085	0.02
1570	0.04
1569	0.02
1666	0.05
1767	0.03
1703	0.03
1704	0.06
1732	0.05
1714	0.04
1721	0.08
1722	0.07
1723	0.03
1733	0.10
1734	0.06
1749	0.06
1751	0.05
1762	0.07
1750	0.02
1763	0.06
1765	0.07
1012	0.07
1013	0.07
1014	0.06
1015	0.01
1016	0.01
1017	0.08
1018	0.13
1020	0.03
1082	0.01
1021	0.07
1022	0.10
1023	0.04
1076	0.04
1077	0.10
1079	0.01
1080	0.08
1080	0.02
1084	0.01
1059	0.02
1060	0.03
1761	0.03
1469	0.10
1083	0.03
1458	0.08
1470	0.02
1476	0.10
1486	0.08
1485	0.05
1490	0.01
1487	0.03
1488	0.02
1512	0.05
1504	0.06
1471	0.03
1758	0.05
1759	0.08
1762	0.06
1757	0.10
161	0.03
162	0.02
190	0.20
193	0.10
1000	0.01
योग 121	7.90
कुल योग 166	10.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-परशुरामपुर जलाशय के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2004

क्रमांक-7/अ-82/02-03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-संजयनगर, प.ह.नं. 36, रविन्द्र नगर, प.ह.नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.45 + 0.06 = 18.51 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	ग्राम-संजयनगर	
	120	0.14
	123	0.72
	265	0.68
	269	0.63
	124	0.28
	185	0.26
	288	0.91
	290	0.24
	216	1.11
	239	0.03
	249	0.26
	241/1	0.02
	242/2	0.10
	243	0.10
	247	0.06
	292	0.04
	251	1.53
	254	0.86
	256	0.33
	264	0.87
	268	0.51
	274	0.30
	275	0.91
	277	0.41
	303	0.46
	286	0.65
	287	0.81
	289	1.25
	301	0.27
	307	0.01
	309	0.27
	312	0.49
	314	0.42
	328/1	0.13
	328/2	0.30
	246/4	0.17
	246/2	0.29
	246/3	0.08
	246/5	0.96
	121	0.21
	306	0.38
योग	41	18.45
	ग्राम-रविन्द्रनगर	
	411	0.01
	364	0.05
योग	2	0.06
कुल योग	43	18.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-महावीरपुर जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

प्र. क्र. 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-करिगांव, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
987, 988	0.061
993	0.012
765	0.020
803/2	0.012
846/1	0.057
823/1	0.020
766/1	0.045
801/7, 802/2	0.036
योग	0.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करिगांव ब्रांच माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

प्र. क्र. 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बुन्देली, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.318 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
328	0.057
330/3	0.065
237/1, 238/1	0.016
384/2	0.012
401/6	0.008
401/9	0.016
331/4	0.012
332/11	0.028
390/1	0.008
269	0.040
184/4	0.028
326/3	0.020
267	0.008
योग	0.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करारी माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

प्र. क्र. 03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-करिगांव, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.290 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
980/1	0.012

(1)	(2)
878	0.053
680	0.036
681	0.016
895	0.008
1118	0.028
1086, 1117/5, 6	0.012
1092	0.012
1078/2 ध	0.040
985	0.012
889/1	0.04
983	0.049
881/1	0.008
योग	0.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं-करीगांव माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

प्र. क्र. 04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
412	0.040
316	0.008
5	0.036
16/4	0.008
3/1	0.020
3/5	0.008
3/2	0.012
योग	0.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भागोंडीह ब्रांच माइनर II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

प्र. क्र. 05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बंदोरा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1176/6	0.036
1177/4	0.032
1177/5	0.040
1215/3	0.049
1179	0.032
योग	0.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चरोदी सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

प्र. क्र. 06/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.743 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149/3	0.012
147	0.028
144	0.024
185/2	0.028
182/1	0.057
165/1	0.004
142/3	0.016
166/1	0.016
166/2	0.006
167/2	0.106
167/3	0.008
167/1	0.016
182/2	0.057
165	0.016
201/2	0.049
184/1	0.020
201/7	0.144
183/2	0.096
184/2	0.040
योग	0.743

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोहाडीह सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र.. 04 /अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13869 कोरबा, दिनाँक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला - कोरबा

(ख) तहसील - कोरबा प.ह.न.-04

(ग) नगर / ग्राम - रामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.171 हेक्टेयर

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	119	0.283
2	120	0.728
3	121/1	0.04
4	161/1	0.060
5	165/1	
6	166/1	
7	161/3	0.030
8	165/3	
9	166/3	
10	161/2	0.030
11	165/2	
12	166/2	
	योग :-	1.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ पाइप लाइन का निर्माण ।

(3) उक्त भूमि नक्शा (प्लान) - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प्र.क्र. 06 /अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13874 कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला - कोरबा

(ख) तहसील - कोरबा प.ह.नं.-05

(ग) नगर / ग्राम - गोढ़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.523 हेक्टेयर

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	43/1 ख	0.138
2	43/3	0.045
3	43/7,8,9	0.020
4	67/1	0.024
5	63/1	0.061
6	63/2	0.049
7	63/3	0.073
8	74/3	0.016
9	76/1 ग 77/3	0.097
	योग: -	0.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ पाइप लाइन का निर्माण ।

(3) उक्त भूमि नक्शा (प्लान) - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प्र.क. 05 /अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13870 कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

प.ह.नं.-04

(क) जिला - कोरबा

(ख) तहसील - कोरबा

(ग) नगर / ग्राम - रिस्दी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.737 हेक्टेयर

क0.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	300	0.049
2	309/1	0.089
3	309/2	0.089
4	470 482/1	0.016
5	471/2	0.081
6	471/3	0.081
7	475/1	0.170
8	476/4	0.020
9	476/5	0.020
10	476/11क	
11	477/6	0.081
12	482/1 ख	
13	476/3	0.040
14	476/7	0.040
15	479	
16	480	0.222
17	481	
18	482/1ङ.	
19	384	0.020
20	385	0.109
21	484/1	0.162
22	485/1	
23	484/2	0.182
24	485/2	
25	486/1	0.020
26	493	0.049
27	494/2	0.049
28	502/1	0.061
29	502/5	0.020
30	503/1	0.030
31	510	
32	386/1	0.111
33	388	
34	495/2	
35	496	
36	497	
37	500	
38	501/1	
39	502/3	
40	347/2	0.053
41	347/4	0.053
42	352/3	0.049
43	357/1	
44	358/1	
45	360/1	0.227
46	379/1	
47	382/1	
48	383/1	
49	378/1	0.087
50	380/2	0.085
51	361	0.283
52	373	
53	374	
54	375	
55	376	
56	377	
57	371	0.020
58	372	0.020
59	476/10	
60	477/5	0.049
61	482/1 ट	
	योग :-	2.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण ।

(3) उक्त भूमि नक्शा (प्लान) - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प्र.क. 01/अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13876 कोरबा दिनांक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला - कोरबा

(ख) तहसील - कोरबा

(ग) नगर / ग्राम - पंडरीपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 86.040 हेक्टेयर

प.ह.नं.-05

क0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
1	298	0.202
2	297	0.219
3	299/1	1.177
4	299/2	0.405
5	290/1	1.893
6	292	0.486
7	294	0.364
8	252	0.717
9	422	0.081
10	308/2	0.486
11	260/2	0.227
12	261/1	0.186
13	290/2	0.077
	307/1	0.036
14	290/4	0.016
	307/3	0.101
15	86	0.271
16	87	0.154
17	290/3	0.049
	307/2	0.032
18	460	0.061
19	219	0.008
20	301	0.073
21	306/2	0.170
22	306/3	0.073
23	306/4	0.304
24	306/5	0.113
25	306/6	0.202
26	306/7	0.405
27	300	0.040
28	322	0.097
29	323	0.053
30	324	0.081
31	326	0.073
32	204/2	0.069
33	340	0.202
34	341	0.178
35	342	0.121
36	344	0.162
37	346	0.065
38	347	0.081
39	348	0.065
40	353/3	0.138
41	356	0.579
42	357/1	0.057
43	365	0.012
44	399/2	0.016
45	405	0.105

क0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
46	406	0.121
47	407	0.121
48	408/1	0.081
49	394	0.129
50	413	0.081
51	219	0.008
52	415/1	0.340
53	400	0.073
54	423	0.045
55	401	0.040
56	424	0.057
57	425	0.178
58	427	0.089
59	428	0.146
60	205/2	0.049
61	206/2	0.032
62	207	0.178
63	336	0.607
64	228/1	0.154
65	228/2	0.016
66	203	0.065
67	393	0.089
68	391	0.202
69	91/2 ख	0.089
70	334/1	0.057
71	430/4	0.089
72	432/5	0.057
73	97/4	0.198
	96/5	0.134
74	209	0.008
	217	0.077
75	196/2	0.020
	195/3	0.073
76	216/6	0.081
77	212/2	0.020
78	91/1 क	0.097
	91/2 क	0.061
79	302	0.057
80	206/1	0.283
81	304	0.045
82	325	0.032
83	462	0.121
84	201/2	0.016
85	328/3	0.040
86	404	0.113
87	343	0.162
88	402	0.073
89	349	0.057

क0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
90	437	0.299
91	366	0.032
92	230	0.032
93	392	0.081
94	411	0.121
95	431/2	0.049
96	96/4	0.049
	96/3	0.125
97	429/2	0.081
98	199/3	0.121
99	216/5	0.219
100	459	0.109
	195/2	0.053
101	97/11	0.065
102	220/4	0.040
103	430/3	0.121
104	432/2	0.129
105	216/1	0.190
106	199/2	0.142
107	91/2 ग	0.032
108	91/1 ख	0.097
109	91/3	0.016
110	97/1	0.093
111	201/1 ग	0.150
112	369/2	0.688
113	375/2	0.502
	374	0.113
114	396	0.393
115	397/2	0.178
116	375/1	0.405
117	273	0.372
118	433/2	0.344
119	433/3	0.607
120	420	0.073
121	421	0.364
122	419/2	0.174
123	397/1 ख	0.121
124	395	0.995
125	397/1 क	0.121
126	398	0.664
127	414/1	0.360
128	414/2	0.142
129	233	0.016
130	234/1	0.073
131	235/2	0.283
132	245/2	0.065
133	248	0.020
134	246/1	0.081

क0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
135	250/2	0.146
136	254/2	0.024
137	251/1	0.040
138	214/2	0.405
139	214/3	0.040
140	399/4	0.097
	399/5	0.081
141	221	0.202
	222	0.534
	224/2	0.243
	261/2	0.129
	262/3	0.008
142	457/4	0.890
143	464	0.729
144	223	0.049
145	210	0.283
146	104/2	0.809
147	106/2	0.267
148	185	0.162
	186	0.008
	188	0.121
	187	0.255
149	274	0.401
150	457/3	0.291
151	457/2	0.429
152	452/2	0.210
	453	0.032
	454	0.623
	455	0.121
153	227/1	0.397
154	227/2	0.194
155	227/3	0.194
156	231/2	0.121
157	430/2	0.093
158	196/3	0.020
	197/2	0.077
159	232/1	0.223
160	231/1	0.121
161	409/1	0.105
162	409/3	0.259
	416	0.049
163	409/2 क	0.117
	412	0.081
164	409/2 ख	0.206
165	410	0.709
166	434/1	0.057
167	452/1	1.388
168	419/1	0.162
169	432/1	0.057
170	199/4	0.008
	456/1	
171	97/2	0.372
172	237/2	0.040
173	102/2	0.388
174	179	0.243
	180	0.146
175	181	0.243
	182	0.073
	183	0.951
176	189	0.061
	190	0.101
	191	0.397
	194/2	0.016
	194/3	0.004
177	194/4	0.040
178	460	0.020
179	98	0.356
	99	1.672
	100	0.243
	184	0.138
180	106/1	0.405
181	236	0.020
182	265/2	0.061
183	265/3	0.065
184	249/4	0.113
185	249/6	0.089
186	269	0.219
187	262/1	0.097
188	263/2	0.040
	264/2	0.049
189	263/3	0.065
	264/1	0.032
190	264/3	0.036
191	249/5	0.142
192	308/1	0.692
193	255	0.065
194	263/1	0.040
195	275	0.413
196	314/2	0.049
	315	0.283
	319	0.061
197	276	0.263
198	277	0.356
199	270	0.182
200	271	0.170
201	434/2	0.016
202	458	0.162
203	213/1	0.959
204	415/2	0.129
205	272	0.478
206	260/3	0.097
207	242/1	0.283
208	238/1	0.049
209	238/2	0.121
210	243/1	0.121
211	260/1	0.097
212	260/4	0.121
213	235/3	0.081
214	235/1	0.162
215	238/3	0.121
216	240/2	0.040
217	242/5	0.198
218	243/5	0.061
219	244/2	0.077
220	245/3	0.008
221	260/7	0.109
222	260/8	0.121
223	246/3	0.016
224	250/4	0.117
225	254/1	0.081
226	251/3	0.020
227	235/7	0.121
228	242/3	0.174
229	243/2	0.101
230	240/1	0.065
231	243/3	0.081
	235/5	0.190
232	235/4	0.138
	250/1	0.061
	251/2	0.060
233	260/5	0.206
234	242/4	0.198
235	243/4	0.243
	246/2	0.016
	250/3	0.040
	245/1	0.162
	244/1	0.008
236	260/6	0.235
237	234/2	0.049
238	235/6	0.146
239	247	0.445
240	249/1	0.081
241	249/2	0.219
242	249/3	0.049
243	268	0.081
244	256	0.162
245	202	0.324
246	102/1	1.214
247	200/2	0.170
248	201/1 ख	0.121
249	200/3	0.231
250	211	0.061
251	435/1	0.154
252	436	0.388
253	418	0.406
254	435/2	0.243
255	208	0.380
256	457/1	0.632
257	477	0.057
258	97/5	0.105
	97/3	0.061
	96/2	0.049
259	478	0.057
260	267	0.454
261	193	0.388
	194/1	0.117
262	317/4	0.121
263	195/1	0.121
	198	0.016
	199/11	0.008
264	97/13	0.040
265	97/8	0.097
266	220/6	0.040
267	429/4	0.202
268	216/11	0.190
269	333/1	0.097
	333/2	0.032
	334/2	0.045
	262/2	0.040
270	91/5	0.016
271	199/8	0.057
272	199/10	0.097
	456/3	0.008
273	216/9	0.040
274	218/2	0.109
275	218/3	0.081
276	220/3	0.162
277	265/1	0.142
278	431/1	0.445
279	426	0.186

क0	खसरा न.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
280	212/1	0.547
281	350	0.162
282	351/1	0.073
283	351/2	0.121
284	352/1	0.182
285	345	0.049
286	352/2	0.097
	353/1	0.036
287	357/2	0.032
	358	0.032
	363	0.392
	364	0.081
	369/1	1.153
288	359	0.032
289	361	0.255
290	354	0.162
291	355/1	0.166
292	212/3	0.065
293	197/1	0.028
	199/5	0.097
294	195/4	0.069
295	216/7	0.081
296	429/3	0.138
297	199/7	0.049
298	362	0.210
299	408/2	0.405
	417	0.073
300	353/2	0.117
301	355/2	0.117
302	368	0.016
303	314/1	0.049
	320/1	0.259
304	316/1	0.069
	317/1	0.040
305	370/2	0.101
306	316/2	0.069
	317/2	0.040
307	317/5	0.121
	318	0.049
308	370/1 क	0.206
	371	0.057
	372	0.012
309	320/2	0.441
	321/1	0.178
	321/3	0.057
310	317/3	0.081
	357/3	0.024
	360	0.089
311	331	0.020
	332/1	0.324
	338	0.024
	339	0.089
312	329	0.032
313	403	0.138

क0	खसरा न.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
314	303	0.065
315	330	0.077
316	367	0.024
317	204/1	0.069
318	205/1	0.049
319	305	0.073
	306/1	0.522
320	229	0.049
321	328/1	0.324
322	309	1.148
	310	0.121
323	327	0.024
324	311	0.280
325	312	0.320
326	313/2	0.405
327	177	0.206
	178	0.607
328	313/1	0.591
	328/2	0.040
329	313/3	0.627
330	335/1	0.081
331	335/9	0.040
332	399/1	0.255
333	224/1	0.113
	225	0.105
334	226/2	0.008
335	258	0.012
	259	0.008
	257	0.024
336	335/2	0.073
337	335/3	0.101
338	335/5	0.024
339	335/6	0.077
340	335/8	0.400
341	399/3	0.364
342	192	0.745
343	335/4	0.073
344	335/7	0.154
345	279/1	0.227
346	337	0.202
347	220/5	0.040
348	429/1	0.202
349	432/3	0.053
350	97/16	0.032
351	200/1	0.093
352	201/1 क	0.053
353	212/4	0.045
354	216/4	0.032
355	216/8	0.178
356	91/4	0.016
357	97/7	0.081
358	97/12	0.024
359	213/2	0.178

क0	खसरा न.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
360	333/3	0.186
	334/3	0.045
361	97/9	0.081
362	220/7	0.040
363	431/3	0.129
364	432/4	0.049
365	216/10	0.040
366	91/6	0.016
367	97/14	0.061
368	196/1	0.040
369	199/1	0.101
370	199/9	0.057
371	295	0.283
372	216/2	0.053
	216/3	
373	334/4	0.049
374	333/4	0.186
375	97/6	0.101
376	220/8	0.040
377	97/10	0.113
378	213/3	0.175
379	430/1	0.239
380	97/15	0.061
381	91/7	0.016
382	433/9	0.146
383	433/10	0.146
384	433/11	0.146
385	433/12	0.146
386	433/4	0.146
387	433/1	
	433/5	
	433/6	0.081
	433/7	
	433/8	
388	218/1	0.012
	220/1	0.008
	220/2	
389	242/2	0.809
390	237/1	0.081
391	261/3	0.129
	266	0.202
392	332/2	0.162
393	370/1 ख	0.243
394	456/2	0.004
395	253	0.020
396	434/4	0.821
397	434/5	0.393
398	199/6	0.049
399	214/1	0.202
	215	0.049
400	232/2	0.223
योग :- 400		86.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण।

(3)उक्त भूमि नक्शा(प्लान)-अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 07 /अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13871. कोरबा, दिनाँक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) सेशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला - कोरबा प.ह.नं.-10

(ख) तहसील - कोरबा

(ग) नगर / ग्राम - झगरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.789 हेक्टेयर

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	46/3	0.049
2	7	0.049
3	5/1.	0.162
4	33/2	0.218
5	14/7	0.049
6	14/8	0.069
7	30/2	0.198
8	42/7	0.137
9	30/1	0.377
10	49/2	0.450
11	30/14 }	0.097
12	30/15 }	

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
13	42/9	0.117
14	13/5	0.012
15	14/2	0.251
16	14/3	0.012
17	50 }	0.142
18	67/1 }	
19	34/26	0.198
20	42/8	0.008
21	34/22	0.170
22	39/1	0.599
23	40	0.425
	योग :-	3.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ पाइप लाईन का निर्माण ।

(3) उक्त भूमि नक्शा (प्लान) - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प्र.क्र.08/अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13875 कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

प्र.ह.नं.-05

1. भूमि का वर्णन
(क) जिला - कोरबा
(ख) तहसील - कोरबा
(ग) नगर / ग्राम - गोढ़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 33.680 हेक्टेयर

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
1	78/1	0.198
2	106/1	0.012
3	80	0.348
4	79/3	0.526
5	82	0.858
6	83/1	0.785
7	84/1	0.077
8	84/3	0.162
9	84/2	0.081
10	85	0.020
11	86/1	0.146
12	100/2	0.057
13	101/5	0.093
14	102	0.162
15	101/2	0.154
16	101/8	0.073
17	86/2	0.170
18	87/2	0.073
19	90	0.219
20	95/2	0.664
21	91/1	0.097
22	108/1	0.121
23	91/2	0.115
24	87/1	0.089
25	89/2	0.040
26	91/3	0.115
27	108/2	0.121
28	88/1	0.113
29	89/1	0.032
30	93/1	0.073
31	93/2	0.065
32	93/4	0.061
33	93/6	0.065
34	127/2	0.174
35	128/2	
36	95/1	0.121
37	96/1	0.324
38	98/1 ख	0.097
39	95/3	0.170
40	95/4	0.154
41	98/2	0.202
42	96/2	0.405
43	97	1.197
44	98/1 क	0.024
45	101/1	0.454
46	125/1	0.089
47	125/2	0.121
48	125/4	0.129
49	101/3	0.105
50	101/4	
51	101/6	
52	101/7	
53	101/9	2.342
54	101/10	
55	101/11	
56	122	
57	103	0.344
58	76/7	0.283
59	78/2	0.049
60	106/2	0.008
61	109/1	0.162
62	109/2	0.486
63	111	0.789
64	110/1	0.028
65	112/1	0.081
66	86/6	0.105
67	99/1	0.591
68	100/1	0.089
69	110/2	0.194
70	112/2	0.077
71	113	0.380
72	114	0.202
73	115/1	1.044
74	115/2	0.040
75	115/3	0.004
76	117/4	0.526
77	116/2	0.121
78	124/1	
79	124/2	
80	126/1	
81	209/1	0.202
82	209/2	
83	209/4	
84	211/2	
85	213/1	
86	218/1	
87	116/1	0.121
88	117/5	0.081
89	117/6	0.202
90	117/7	0.004
91	121/2	0.324
92	410/3	0.384
93	416/3	0.275
94	124/3	
95	126/2	
96	209/6	0.318
97	211/3	
98	213/3	
99	218/2	
100	117/1 क	0.142
101	117/1 ख	0.162
102	117/1 ग	0.081
103	117/3	0.020
104	117/2	0.020
105	117/8	0.004
106	117/9	0.012
107	121/1	2.347
108	123	0.938
109	213/2	0.032
110	214	0.162
111	125/3	0.113
112	129/3	0.121
113	125/6	0.113
114	129/1	0.049
115	129/2	0.093
116	130	0.251
117	134/2	0.308
118	147/2	0.016
119	131/1	0.299
120	131/2	0.380
121	132	0.283
122	133	0.101
123	134/1	0.652
124	135	0.040
125	134/3	0.299
126	211/1	0.142
127	212/1	0.097
128	212/2	0.243
129	146	0.182

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
130	147/1 }	0.016
131	148 }	0.097
132	83/2	0.809
133	76/8	0.202
134	77/4	0.203
135	76/1 भा }	0.283
136	77/3 }	
137	86/3 }	0.040
138	86/4 }	0.138
139	86/5	0.129
140	99/2	0.486
141	94	0.202
142	88/2	0.113
143	93/3	0.170
144	93/5	0.065
145	127/3 }	0.129
146	128/3 }	
147	127/1 }	0.202
148	128/1 }	
149	93/1	0.073
150	125/5	0.138
151	409	0.283
152	413	0.109
153	416/1	0.121
154	416/6	0.016
155	416/7	0.057
156	416/8	0.057
157	410/1	0.283
158	416/9	0.117
159	410/2	0.142
160	414	0.142
161	415	0.235
162	416/5	0.113
163	411/1	0.304
164	411/2	0.259
165	411/3	0.121
166	412	0.376
167	416/2	0.109
168	416/4	0.032
	महायोग	33.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण।

(3)उक्त भूमि नक्शा(प्लान)-अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 02/अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13873 कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) सेशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
(क) जिला - कोरबा
(ख) तहसील - कोरबा
(ग) नगर / ग्राम - नकटीखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.513 हेक्टेयर

प्र.ह.नं.-05

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
1	139/2	0.150
2	141/1	0.032
3	148	0.097
4	149/2	0.105
5	163/1 क	0.186
6	218	0.024
7	190	0.113
8	235/1	0.142
9	235/2	
10	236/1	
11	237/1	
12	238/1	
13	240/2	0.154
14	243/4	0.142
15	240/3	0.028
16	243/1	0.170
17	247/2	0.101
18	287/4	0.239
19	248/1	0.045
20	248/2	0.028
21	251	0.227
22	254	0.081
23	287/1 क	0.121
24	311/2	0.008
25	321/1	0.065
26	400/6	0.020
27	159	0.061
28	311/1 ख	0.016
29	277/2	0.158
	महायोग :-	2.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण ।

(3) उक्त भूमि नक्शा (प्लान)-अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 03/अ.-82/03-04/भू-अर्जन/ 13872 कोरबा दिनांक 25 नवम्बर 04

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) सेशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
(क) जिला - कोरबा
(ख) तहसील - कोरबा
(ग) नगर / ग्राम - भुलसीडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.193 हेक्टेयर

प्र.ह.नं.-10

क्र0	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
1	2	3
1	20/1	0.077
2	57	0.146
3	29/3	0.061
4	11/2.	0.113
5	8/2.	0.113
6	242	0.170
7	9	0.162
8	8/3.	0.138
9	8/1	0.121
10	111/1	0.186
11	22/1	0.040
12	22/2	0.053
13	194/1	0.190
14	29	0.202
15	126	0.105
16	196/2	0.170
17	13/1	0.146
योग :- 17		2.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण ।

(3) उक्त भूमि नक्शा(प्लान)-अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2004

"प्ररूप-घ"
(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 10—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा की अधिसूचना क्रमांक 275 दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अंर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	भेलाई/22	422, 429, 863	1.40
			428, 432/3	0.08
			430	0.33
			431	0.02
			496/2	0.10
			496/3	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	भेलाई/22	496/4	0.79
			496/5	0.02
			509	0.15
			510/1	0.15
			510/2	0.15
			511/1, 853, 854	0.28
			511/2	0.20
			527/1, 540/1	0.36
			540/2, 805/1	0.36
			627/1	0.01
			628	0.58
			629	0.37
			635/1	0.14
			635/2	0.30
			635/3	0.06
			636/2	0.06
			637/3	0.50
			638	0.26
			639	0.04
			662	0.02
			664/1	0.06
			664/2	0.05
			665	0.19
			666	0.35
			667	0.14
			669	0.28
			673	0.02
			674	0.15
			675/2	0.04
			677	0.02
			678/1	0.24
			678/2, 706/1	0.01
			679/1	0.24
			679/2	0.08
			679/3	0.12
			679/4	0.10
			681	0.37
			682/1, 682/5	0.35
			683	0.26
			684/2	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	भेलाई/22	685	0.20
			686/1	0.08
			687/1	0.20
			687/2	0.10
			687/3	0.30
			687/4	0.10
			716/5	0.25
			717/1	0.11
			717/3	0.16
			717/6	0.11
			805/2	0.10
			836/2	0.02
			847	0.08
			848	0.16
			849	0.49
			855/1	0.10
			855/2	0.20
		योग	62	12.74

हस्ता./-
आर. एक्का
अनुविभागीय अधिकारी.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा.निर्वा./2004.—राज्य में नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 2004 में सम्पन्न होंगे. बहरहाल, नगर निगम भिलाई का कार्यकाल 16-8-2005, नगरपालिका परिषद् भिलाई चरौदा 16-7-2005 और नगरपालिका परिषद् जामूल 16-7-2005 तक है. अत: इन तीनों नगरीय निकायों में निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 2004 में नहीं होगा.

2. जगदलपुर में नगर निगम का गठन किया गया है. इसकी मतदाता सूची नये सिरे से तैयार करने के आदेश आयोग द्वारा दिये गये हैं और इसकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 24-11-2004 को होगा. अत: नगरपालिका निगम जगदलपुर के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम यथासमय अलग से घोषित किया जायेगा.

हस्ता./-
(ओंकार सिह)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	भेलाई/22	685	0.20
			686/1	0.08
			687/1	0.20
			687/2	0.10
			687/3	0.30
			687/4	0.10
			716/5	0.25
			717/1	0.11
			717/3	0.16
			717/6	0.11
			805/2	0.10
			836/2	0.02
			847	0.08
			848	0.16
			849	0.49
			855/1	0.10
			855/2	0.20
		योग	62	12.74

हस्ता./-
आर. एक्का
अनुविभागीय अधिकारी.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा.निर्वा./2004.—राज्य में नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 2004 में सम्पन्न होंगे. बहरहाल, नगर निगम भिलाई का कार्यकाल 16-8-2005, नगरपालिका परिषद् भिलाई चरौदा 16-7-2005 और नगरपालिका परिषद् जामूल 16-7-2005 तक है. अत: इन तीनों नगरीय निकायों में निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 2004 में नहीं होगा.

2. जगदलपुर में नगर निगम का गठन किया गया है. इसकी मतदाता सूची नये सिरे से तैयार करने के आदेश आयोग द्वारा दिये गये हैं और इसकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 24-11-2004 को होगा. अत: नगरपालिका निगम जगदलपुर के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम यथासमय अलग से घोषित किया जायेगा.

हस्ता./-
(ओंकार सिंह)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर
रायपुर-492001

क्रमांक एफ-95/रानिआ/न.पा./2004/1972 रायपुर, दिनांक 18-11-2004

नगर पालिका निर्वाचन 2004 स्वतंत्र, निष्पक्ष, नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों में प्रेक्षक नियुक्त किया जाता है ।

क्र.	नाम	पद	आवंटित जिला
1.	श्री एस.के. बेहार,	संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, रायपुर	बिलासपुर
2.	श्री शिशुपाल शौरी,	छ.ग. शासन, उप सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग, रायपुर	जांजगीर—चांपा
3.	श्री एस.के. केहरि,	संचालक, लोक शिक्षण विभाग, रायपुर	कोरबा
4.	श्री एम. एस. ध्रुर्वे	विशेष सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग	सरगुजा
5.	श्री हेमन्त कुमार पहारे	उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, रायपुर	धमतरी
6	श्री दिलीप कुमार वासनिकर	उपसचिव, जलसंसाधन विभाग, रायपुर	रायगढ़
7	श्री विजय कुमार ध्रुर्वे	उप सचिव, महाधिवक्ता, कार्यालय बिलासपुर	जशपुर नगर
8	रिक्त	रिक्त	रायपुर
9	श्री सुब्रत साहू	पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर	महासमुंद
10	श्री अलबिनस मिंज,	संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक संपदा, रायपुर	कोरिया
11	श्री टी.एस.छतवाल	सचिव, वन विभाग, रायपुर	दुर्ग
12	श्री बी.एल. ठाकुर,	विशेष सचिव, छ.ग. शासन खनिज विभाग, रायपुर	राजनांदगांव
13	श्री एस.आर. ब्राम्हणे	उपसचिव, शिक्षा विभाग, रायपुर	कबीरधाम (कवर्धा)
14	श्री बी.एस. अनंत,	संयुक्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	उत्तर बस्तर (कांकेर)
15	श्री एम.एस. पैकरा,	संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर	बस्तर
16	श्री एल.एन. सूर्यवंशी,	संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
17	श्री ईमिल लकड़ा	उप सचिव, छ.ग. शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर	आरक्षित (रा.नि.आ.)
18	कु. ओमेगा युनाईस टोप्पो	महाप्रबंधक पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर	आरक्षित (रा.नि.आ.)

हस्ता.
(ओंकार सिंह)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़, रायपुर